न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 97/2022 आवन्टन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया **बनाम** 1. मांगीलाल पिता पन्ना ग्वार बंजारा निवासी गोरधनपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

—प्रार्थी —विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.05.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम चैनपुरिया की आ.न. 595/1 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 21.11.2022 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता दौराने बहस तक अनुपस्थित रहे। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम चैनपुरिया की आ.नं. 595/1 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम चैनपुरिया के आ.न. 595/1 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई भी पुष्ट साक्ष्य पेश

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नही किया हैं। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम चैनपुरिया के आराजी नं. 595/1 रकबा 0.4856 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार बिजौलिया को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम चैनपुरिया की आ.न. 595/1 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)